

न्यायालय एवं न्यायाधीश बागेश्वर

सु. वा. सं. - 30/2022

हुकुमते एक्कासि केस प्रति आवना केडा

०२
१७/११-२०२२

पढावली पेश, पुकारा गण,
पुनरीधनकर्ता की कोर से विद्वान
कथिवरता श्री दलीश चन्द जोशी तथा विपक्षी
की कोर से विद्वान कथिवरता श्री गोविन्द प्रदाय
सिंह न्यायालय आवित,

विपक्षी की कोर से विद्वान कथिवरता
श्री गोविन्द प्रदाय सिंह द्वारा वकालत पत्र प्रस्तुत,
शामिल मिलत हो,

विपक्षी की कोर से विद्वान कथिवरता
श्री गोविन्द प्रदाय सिंह द्वारा प्रस्तावना ॥ एव ३६ आशय
का प्रस्तुत कि. विपक्षी द्वारा कान ही होने कपना
कथिवरता निपुणता किया गया है, जिस कारण मामले में
बदल हो पाना संभव नही है, बदल हेतु कय विनि
प्रधान करने की शायना की गयी, पुकारा, लीकल,

पढावली कि २२-११-२०२२ को वासि
हुकुमते प्रानेता पत्र कर्तगत धाता ५ भिन्न कथिनिपु
पेश हो,

-Sd-

शहन्शाह मुहम्मद दिलवर दानिश
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बागेश्वर